

आदेश की
क्रम सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कारवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल विविध वाद संख्या 157/2019-2020 (भूदान पत्र-दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

दाता रूपन सिंह, पिता-मानरूप सिंह, ग्राम-करहरी, थाना-करपी, जिला-अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्टि हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान-यज्ञ-दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान-यज्ञ-दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:-

खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
160	183	10 धुर	उत्तर-नीज दक्षिण-अनंत सिंह यादव पूरब-वकास्त पश्चिम-तेतर सिंह

मौजा- करहरी, थाना नं०-220, थाना-करपी, अंचल-करपी, जिला-अरवल भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। दाता के तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए और न किसी के द्वारा आपति दर्ज किया गया। अंचल अधिकारी, करपी के द्वारा जॉच प्रतिवेदन दिनांक 29.12.2020 को समर्पित किया गया।

भूदान यज्ञ-दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर है। अंचल अधिकारी, करपी ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि जमाबंदी मानरूप सिंह, पिता-ईशरी सिंह पर दर्ज है, जो दाता के पुत्र है। रमेश सिंह ओ० उमेश सिंह, पिता-रूपन सिंह वर्तमान में दखल कब्जा है जो पुत्र है। भूमि रैयति खाते की और भूमि का किस्म धनहर है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है। वर्णित भूमि पर भूदान दान पत्र के समय दाता का दखल कब्जा था।

अतः अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेख्यपित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।